सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 03/16

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रायसिंहनगर।

प्रार्थी

बनाम

1. माडूराम पुत्र ग्यानाराम चक 54 एन0पी0 तहसील रायसिंहनगर (अलॉटी)
2. गमदूरसिंह पुत्र श्री प्रीतमसिंह जाति जटसिख
3. प्रीतमसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति जटसिख
4. श्रीमती गुरदेवकौर पत्नी श्री प्रीतमसिंह जाति जटसिख
5. चननसिंह पुत्र प्रीतमसिंह जाति जटसिख

सकनाए 45 एफ तहसील श्रीकरणपुर (खरीददारान)

अप्रार्थीगण

प्रकरण अन्तर्गत धारा 13(1–क) राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम

उपस्थिति : 1. श्री जगमोहन आहूजा, राजकीय अधिवक्ता, स्टेट की ओर से
2. श्री अनिल बिश्नोई, अधिवक्ता, अप्रार्थी सं0 2 से 5 की ओर से।

आदेश दिनांक : 04–7–17

सक्षेंप में प्रकरण के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर नेअपने पत्र क्रमांक टीआरए/14/307 दिनांक 28–6–16 द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर कथन किया है कि पटवारी रिपोर्ट के अनुसार अलॉटी अप्रार्थी सं0 1 को 54 एन0पी0 के मुरब्बा नं0 25 का 24–00 बीघा रकबा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के तहत राजस्थान उपनिवेशन (गंग नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन विक्रय) नियम 1956 के अन्तर्गत अप्रार्थी सं0 1 को दिनांक 16–2–70 को आवंटित हुई थी। उक्त भूमि चक 54 एन0पी0 के मुरब्बा नं0 25 का 24–00 बीघा रकबा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 29–5–74 को अप्रार्थी सं0 2 ता 5 को विक्रय कर दिया। मौका पर क्रेतागण काबिज हैं तथा उनके द्वारा काश्त की जा रही है। उक्त रकबा की खातेदारी सनद जारी नहीं हुई है। राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में रकबा अलॉटी अप्रार्थी सं0 1 के नाम से गैरखातेदारी दर्ज है।खाते के अनुसार समंस्त किश्तें जमा हैं। सैल रजिस्टर में खारिजी का कोई नोट अंकित नहीं है।

उक्त रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। डी0आर0ए0 शाखा से रिपोर्ट तलब की गई। बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि आलॉटी माडू राम को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के तहत राजस्थान उपनिवेशन (गंग नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन विक्रय) नियम 1956 के अन्तर्गत दिनांक 16–2–70 को मुरब्बा नं0 25 की 24–00 बीघा नहरी भूमि आवंटित हुई थी। अलॉटी द्वारा आवंटित भूमि का बेचान बिना विधिवत् मंजूरी प्राप्त किये अप्रार्थीगण सं0 2 से 5 को दिनांक 29–5–74 को सात वर्ष की अवधि के भीतर रजिस्टर्ड बैयनामा से गैरखातेदारी भूमि का विक्रय कर दिया। ऐसा बेचान विधिसम्मत् न होने से रकबा बहक सरकार रिज्यूम किया जाना चाहिये।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अप्रार्थी के अधिवक्ता बहस के दौरान उपस्थित नहीं हुए।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। तहसीलदार की रिपोर्ट क्रमांक टी0आर0ए0/14/307 दिनांक 28–6–16 तथा केतागण का प्रार्थना पत्र 20–06–2016 का अवलोकन किया गया। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.4(27)उप/1984 जयपुर दिनांक 17–6–2014 के अनुसार धारा 13क की उपधारा (1) के तहत अन्तरणो को विधिमान्य घोषित करने के लिए 31–12–2014 तक अवधि बढ़ाई गई है। इस धारा 13क(1) के तहत ऐसे अन्तरण जो आवंटन के सात साल पश्चात गैरखातेदारी के दौरान किये गये हो को ही नियमानुसार शमन शुल्क व इस पर दिनांक 7–9–88 से 18 प्रतिशत की दर से ब्याज लेकर विधिमान्य घोषित किये जाने पर विचार किया जा सकता है। चूंकि हस्तगत प्रकरण में आवंटी मोडूराम को चक 54 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर के मुरब्बा नं0 25 की 24–.00 बीघा का आवंटन दिनांक 16–02–70 को हुआ था और उक्त भूमि का बेचान अप्रार्थी सं0 2 से 5 के पक्ष में दिनांक 29–05–74 को हुआ है जिसकी सनद जारी नहीं हुई है। इस प्रकार अप्रार्थीगण सं0 2 से 5 के द्वारा आवंटन के सात वर्ष के भीतर 24–00 बीघा क्रय की गई है जो धारा 13क(1क) के तहत शमन शुल्क एवं ब्याज की राशि लेकर विधिमान्य घोषित नही की जा सकती। जिन आवंटियों द्वारा आवंटन के सात वर्ष के भीतर गैरखातेदारी भूमि का हस्तान्तरण कर दिया है, ऐसे अन्तरणों को विधिमान्य घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

अतः आवंटन के सात वर्ष के भीतर क्रय की गयी भूमि के अन्तरणो को विधिमान्य घोषित किये जाने का कोई प्रावधान न होने के कारण अप्रार्थीगण सं0 2 से 5 द्वारा दिनांक 29–05–74 को क्रय की गई भूमि बिना विधिवत् मंजूरी के होने के कारण बहक सरकार रिज्यूम की जाती है। भविष्य में यदि राज्य सरकार द्वारा कोई संशोधन कर दिया जाता है तो अप्रार्थीगण इस संबंध में कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र होगें। आदेश की एक प्रति तहसीलदार, रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 04–07–2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04/7/17

(नखतदान बारहठ)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर